

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी उत्तर (सामान्य) वनमण्डल बैतूल, (म.प्र.)

E-Mail : dfotnbetul@mp.gov.in

क्र०/स्टोर/ 3051

बैतूल, दिनांक 06/05/25

प्रति,

उप संचालक {विज्ञापन},
जनसंपर्क संचालनालय,
जनसंपर्क परिसर,
बाणगंगा, भोपाल {म०प्र०} ।

विषय :- विज्ञप्ति का प्रकाशन ।

- 0 -

उत्तर बैतूल (सा.) वनमण्डल के अंतर्गत परिक्षेत्रों के लिये गश्ती वाहन हेतु ई-निविदा आमंत्रित की गई है। कृपया पत्र के साथ संलग्न विज्ञप्ति का प्रकाशन प्रदेश/स्थानीय स्तर समाचार पत्रों में दिनांक 09.05.2025 के पूर्व कराने का कष्ट करें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

(नवीन गर्ग)

भा.व.से.

वनमंडलाधिकारी,

उत्तर बैतूल (सा.) वनमंडल

बैतूल, दिनांक 06/05/25

पृ.क्रमांक/स्टोर/ 3052

प्रतिलिपि :-

1. मुख्य वनसंरक्षक, बैतूल वृत्त, बैतूल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित ।
2. वनमंडलाधिकारी दक्षिण/पश्चिम (सा.)/उत्पादन वनमंडल, बैतूल/संचालक वन विद्यालय बैतूल की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
3. समस्त उपवनमंडलाधिकारी/परिक्षेत्र अधिकारी, उत्तर बैतूल (सा.) वनमण्डल की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।

वनमंडलाधिकारी,
उत्तर बैतूल (सा.) वनमंडल

खंड - I

ई-निविदा आमंत्रण सूचना

मध्यप्रदेश शासन

कार्यालय - उत्तर बैतूल (सा0) वनमंडल मध्य प्रदेश

ई-निविदा आमंत्रण सूचना संख्या 305/ई-टेंडरिंग/2025-26 दिनांक 09.05.2025

1. वनमंडलाधिकारी, उत्तर बैतूल (सा0) वनमंडल द्वारा म0प्र0 भंडार क्रय नियम एवं सेवा उपार्जन नियम 2015 (यथा संशोधित-2022) के अंतर्गत निम्नलिखित ई-निविदा आमंत्रित की जाती है ।

क्र.	वाहन का विवरण	मात्रा	सत्यांकार निधि	निविदा दस्तावेजो का मूल्य
1	बोलेरो 7 सीटर ए.सी. BS VI किराया वाहन	05	25000/-	500/-
2	डबल कैब/ डबल केबिन पिक अप वाहन	01		

1. निविदा दस्तावेज से संबंधित सभी विवरण ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर निःशुल्क देखे और डाउनलोड किए जा सकते हैं ।
2. इच्छुक निविदाकार क्रेडिट/डेबिट/कैश कार्ड/इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से पोर्टल शुल्क का आनलाईन भुगतान करने के बाद निविदा दस्तावेज को ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर दिनांक 09.05.2025 सायं 06:00 बजे से निविदा जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय तक केवल ऑनलाईन खरीद सकते हैं ।
3. ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर महत्वपूर्ण तिथियों के रूप में उल्लेखित निविदा प्रक्रिया तिथियां लागू होगी ।
4. ई-निविदा आमंत्रण सूचना में शुद्धिपत्र/परिशिष्ट, यदि कोई हो केवल पोर्टल पर प्रकाशित किया जाएगा, समाचार पत्रों में नहीं ।
5. ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल : <https://www.mptenders.gov.in/>


वनमंडलाधिकारी
उत्तर बैतूल (सा0) वनमंडल

खंड - II
निविदाकारों के लिए निर्देश (आईटीबी)
मध्यप्रदेश शासन

अ. महत्वपूर्ण तिथियां / सामान्य जानकारी

क्र.	जानकारी	विवरण
1	संक्षिप्त विवरण	उत्तर बैतूल में परिक्षेत्रों के लिए गश्ती वाहन की दरों की निविदा
2	ई-निविदा आमंत्रण सूचना संख्या	305/ दिनांक 09.05.2025
3	निविदा शुल्क/निविदा दस्तावेज की लागत	500/- प्रोसेसिंग शुल्क (पोर्टल द्वारा स्वचालित रूप से निर्धारित)
4	सत्यांकार निधि	वाहन हेतु - 25,000/-
5	निविदा प्रस्ताव की वैधता	उस वित्तीय वर्ष के भीतर जिसमें वनमंडलाधिकारी उत्तर बैतूल वनमंडल द्वारा निविदा आमंत्रित की गई है।
6	निष्पादन सुरक्षा	बोलेरो वाहन हेतु - 25000/-
7	अनुमानित निविदा मूल्य	वाहन हेतु - 15,00,000/-
9	निविदा जमा करने की अंतिम तिथि	25.05.2025 समय 12:00 PM
10	प्राप्त तकनीकी प्रस्तावों को खोलने का समय और तिथि	26.05.2025 समय 12:00 PM
11	प्राप्त वित्तीय प्रस्तावों को खोलने का समय और तिथि	27.05.2025 समय 12:00 PM
12	जमा करने का प्रकार	आनलाईन जमा https://www.mptenders.gov.in/ पर करें

1. निविदा की स्वीकृत दरों की वैधता सफल निविदाकार और वनमण्डलाधिकारी उत्तर बैतूल (सा0) वनमण्डल के बीच आपसी सहमति के अधीन 90 दिनों तक बढ़ाई जा सकती है।
2. निविदा में उल्लेखित की गई वस्तुओं की संभावित मात्रा सफल निविदाकार और वनमण्डलाधिकारी उत्तर बैतूल (सा0) वनमण्डल के बीच आपसी सहमति के अधीन बदली जा सकती है।
3. वनमण्डलाधिकारी उत्तर बैतूल (सा0) वनमण्डल (निविदाकर्ता) किसी भी समय और बिना कोई कारण बताए प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आरएफपी) प्रक्रिया को समाप्त कर सकता है। निविदाकर्ता कोई भी स्पष्ट या निहित प्रतिबद्धता नहीं करता है कि इस प्रक्रिया के परिणामस्वरूप किसी के साथ कोई व्यापारिक लेनदेन होगा। यह प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आर०एफ०पी०) निविदाकर्ता द्वारा कोई प्रस्ताव नहीं है। इस प्रक्रिया में निविदाकर्ता, निविदाकार की भागीदारी के परिणामस्वरूप, निविदाकार से और जानकारी या स्पष्टीकरण मांग सकता है। हालाँकि, निविदाकर्ता किसी भी समय बिना कोई कारण बताए इस प्रक्रिया को समाप्त कर सकता है।
4. प्रति निविदाकार एक निविदा:
 - 4.1 निविदाकार एक व्यक्तिगत इकाई या संयुक्त उद्यम हो सकता है। संयुक्त उद्यम की आवश्यकता अनुल्लंघन 6 में दी गई है।
 - 4.2 कोई भी निविदाकार संयुक्त रूप से या अलग-अलग एक से अधिक निविदायें प्रस्तुत करने का हकदार नहीं होगा। यदि वह ऐसा करता है, तो निविदाकार द्वारा भाग ली गई सभी निविदायें अयोग्य मानी जाएँगी।
5. निविदाकार को अपनी निविदा तैयार करने और प्रस्तुत करने से जुड़े सभी खर्च वहन करना होगा, और इसके लिए सरकार पर कोई भी दावा नहीं किया जाएगा।


वनमंडलाधिकारी
उत्तर बैतूल (सा0) वनमंडल